वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत/आयोजनेत्तर
संख्या 852/XVII(1)-3/07-7(11) 2007

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3 देहरादूनः दिनांक : 13 सितम्बर 2007

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर तथा आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः599/XVII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई 2007 2007 तथा शासनादेश संख्याः 707/ XXVII(1)/2007, दिनांक 16 अगस्त 2007 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक द्वारा समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत प्राविधाननित धनराशियों में से शासनादेश संख्याः 145/ XVII(1)-3/2007-07(11)/2007, दिनांक 06जून 2007 तथा शासनादेश संख्याः 280/XVII(1)-3/2007-07(11)/2007, दिनांक 22अगस्त 2007 के क्रम में पूर्व में आवंटित धनराशि के अतिरिक्त आयोजनागत पक्ष में रू0. 99,67,000.00(रूपया नियानब्बे लाख सड़सठ हजार मात्र) तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू0. 4,10,83,000.00(रूपया चार करोड़ दस लाख तिरासी हजार मात्र) कुल रू0. 5,10,50,000.00(रूपया पांच करोड़ दस लाख पचास हजार मात्र)की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश एवं निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

2. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय।

3. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के वॉल्यूम–5 के पार्ट–1 तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका वाल्यूम–1 के अन्तर्गत उल्लिखित नियमों के अन्तर्गत ही किया जाय।

4. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा **आयोजनेत्तर** अथवा **आयोजनागत** शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

5. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित करने की धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

6. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मितव्ययिता/अबचनबद्ध की मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना सुनिश्चित कर लिया जाय।

7. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

10. समस्त चालू निर्माण कार्य, नये निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलब्ध करायें।

11. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्यय की अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष तथा आयोजनागत पक्ष में संलग्न तालिकाओं में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 377(P)/XXVII(3)/07, दिनांक 12 सितम्बर ,2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या 1254/XVII-3/06-7(11) 2007, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
10. राज्य हज समिति, देहरादून।
11. सचिव, उत्तराखण्ड, अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
12. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
14. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. आदेश पंजिका।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र सिंह दताल)

उपसचिव।

शासनादेश संख्या [illegible] 11(1)-3/07-07(11)/2007, दिनांक [illegible] सितम्बर, 2007 का संलग्न-एक

अनुदान संख्या-15 आयोजनेत्तर मतदेय

लेखाशीर्षक : 2250-00-102-03-00
मुख्य शीर्षक : 2250-अन्य सामाजिक सेवायें
उप मुख्य शीर्षक : 00-
लघु शीर्षक : 102-धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन
उप शीर्षक : 03-वक्फ बोर्ड को सहायता
ब्यौरेवार शीर्षक : 00-

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	200
योग	200

(रू0 दो लाख मात्र)

अनुदान संख्या-15 आयोजनेत्तर मतदेय

लेखाशीर्षक : 2250-00-800-03-00
मुख्य शीर्षक : 2250-अन्य सामाजिक सेवायें
उप मुख्य शीर्षक : 00-
लघु शीर्षक : 800-अन्य व्यय
उप शीर्षक : 03-प्रान्तीय हज समिति को अनुदान
ब्यौरेवार शीर्षक : 00-

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1550
योग	1550

(रू0 पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र)

अनुदान संख्या–15 आयोजनेत्तर मतदेय

लेखाशीर्षक : 2250–00–800–07–00
मुख्य शीर्षक : 2250–अन्य सामाजिक सेवायें
उप मुख्य शीर्षक : 00–
लघु शीर्षक : 800–अन्य व्यय
उप शीर्षक : 07–अरेबिया मदरसों को अनुदान
ब्यौरेवार शीर्षक : 00–

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1000
योग	1000

(रू0 दस लाख मात्र)

अनुदान संख्या–16 आयोजनेत्तर मतदेय

लेखाशीर्षक : 2250–00–800–91–00
मुख्य शीर्षक : 2250–अन्य सामाजिक सेवायें
उप मुख्य शीर्षक : 00–
लघु शीर्षक : 800–अन्य व्यय
उप शीर्षक : 91–अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1–10 के छात्रों को छात्रवृत्ति
ब्यौरेवार शीर्षक : 00–

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	38333
योग	38333 (तीन करोड़ तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र)
योग आयोजनेत्तर	41083 (रूपया चार करोड़ दस लाख तिरासी हजार मात्र)

(रूपया चार करोड़ दस लाख तिरासी हजार मात्र)